तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

प्रीती मीना बनाम कमल सिंह
प्रार्थना पत्र संख्या– 02/28/2025

16.04.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी द्वारा जरिये वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खाता संख्या 734 खसरा संख्या 1123/0.4400, 1124/0.3500 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात को प्रार्थीया ने जरिये पंजीकृत बयनामा तहरीर दिनांक 23.12.2022 पंजीयन दिनांक 28.12.2022 को खरीद की है। उक्त आराजी से प्रार्थीया को जबरन बेदखल नही करें। न स्वयं कब्जा करें। अन्य किसी को जरिये रहन बय हिबा आदि के मुन्तकिल नही करें। और कोई भी मुन्तकिल का दस्तावेज अन्य के पक्ष में तहरीर व पंजीकृत नही करावे तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत ना करें। साथ हि झगझा फिसाद ना करें। अन्त में उक्त विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीया की 1/2 हिस्सा खरीद शुद्वा की आराजी है। जिसका प्रार्थीया के नाम नागान्तकरण नही खुलने से जमाबन्दी में नाम अमल दरामद नही हो सका। यदि अप्रार्थी ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया तो नापुर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी आदेशों तक उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि *आराजी खाता संख्या 734 खसरा संख्या 1123/0.4400, 1124/0.3500 वाके ग्राम ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर* के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त आदेश उभयपक्षकारान पर प्रभावी रहेगे। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। एवं प्रार्थीगण रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस में हाजा न्यायालय में पेश करे। इस संवध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 28.05.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(हरकेश मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला अलवर

30/6/25 पत्रावली मुलवाद के साथ इकजाई पेश से तलब होकर पेश। मुलवाद नोट प्रेस मे खारीज होने के कारण। प्रार्थना पत्र 212 भी नोट प्रेस मे खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर जमा रेकर्ड अगार हो।

SDO न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़